

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक : 17/09/2024

“औपचारिक
रूप से
परामर्शित”

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु प्राप्त राशि 27,36,00,00,000/- (सताईस अरब छतीस करोड़) रुपये की स्वीकृति तथा तत्काल 21,10,00,00,000/- (इक्कीस अरब दस करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति।

द्वारा:- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

आदेश :- स्वीकृत।

पंचायती राज संस्था/नगर निकाय संस्था अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के कार्यरत शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक, जो समग्र शिक्षा अभियान से आच्छादित है, को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 का वेतन का भुगतान किया जाना है।

2. बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, बिहार, पटना के पत्रांक 5953 दिनांक 26.12.2025 के आलोक में चार माह के वेतन भुगतान हेतु जिलावार सूची तैयार किया गया है।

3. विभागीय स्वीकृत्यादेश एवं विमुक्तिदेश सं० 12 दिनांक 28.04.2026 द्वारा 10,50,00,00,000/- (दस अरब पचास करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

3. वित्तीय वर्ष 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि भुगतान हेतु प्राप्त राशि 27,36,00,00,000/- (सताईस अरब छतीस करोड़) रुपये की स्वीकृति तथा तत्काल 21,10,00,00,000/- (इक्कीस अरब दस करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान किया जाना है।

4. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान स्कीम अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि के भुगतान हेतु केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति मद में सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त राशि 27,36,00,00,000/- (सताईस अरब बत्तीस करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं तत्काल 21,10,00,00,000/- (इक्कीस अरब दस करोड़) रुपये मात्र (जिलावार सूची संलग्न) की स्वीकृति एवं विमुक्ति प्रदान की जाती है।

5. वित्तीय वर्ष 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान अन्तर्गत राशि 21,10,00,00,000/- (इक्कीस अरब दस करोड़) रुपये मात्र के व्यय का विकलन वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय व्यय के मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप

मुख्य शीर्ष-01-प्रारंभिक शिक्षा, लघु शीर्ष-111-सर्व शिक्षा अभियान, उप शीर्ष-0302-सर्व शिक्षा अभियान के केन्द्रांश मद में प्राप्त कम राशि की राज्य संसाधन द्वारा पूर्ति, विपत्र कोड-21-2202011110302 पी०एफ०एम०एस० कोड०-3667 के विषय शीर्ष-0302.31.04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि में से होगा।

6. वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस मद में 27,32,00,00,000/- (सताईस अरब बत्तीस करोड़) रुपये मात्र का प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से अतिरिक्त उपबंध किया गया है।

7. वित्तीय वर्ष 2026-27 में उक्त कोटि के शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों जो समग्र शिक्षा अभियान से अच्छादित है, के लिए स्वीकृत राशि का आवंटन आदेश उप सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा एवं CFMS के माध्यम से राशि की निकासी संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) द्वारा संबंधित जिलों की कोषागार के माध्यम से नियमानुसार की जाएगी। निकासी की गई राशि का लेखा-जोखा जिला कार्यालय द्वारा बिल्कुल अलग रखा जाएगा।

8. चूंकि समग्र शिक्षा अभियान एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है और भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश तथा राज्य सरकार समानुपातिक राज्यांश की राशि उक्त मद में प्राप्त होती है। उक्त केन्द्रांश की राशि प्राप्त होने की स्थिति में पहले इस राशि के व्यय के उपरांत ही राज्य निधि की राशि का व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

9. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) सुनिश्चित करेंगे की राशि का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान योजना अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों/प्रधानाध्यापकों को विधिवत् रूप से करें।

10. उक्त स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 एवं महालेखाकार, बिहार के पत्रांक 877-907 दिनांक 08.11.2007 के आलोक में आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात् राशि की निकासी की जायेगी। अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के द्वारा उक्त राशि के व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विहित प्रक्रिया के तहत विहित प्रपत्र में (बी०टी०सी० फॉर्म 42A पुनरीक्षित) बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 271 के अंतर्गत निकासी की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग के माध्यम से महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना को उपलब्ध कराते हुए विहित प्रपत्र में भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 तथा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/पत्रों में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार राशि की निकासी एवं व्यय की जाएगी।

13. वित्त विभाग, बिहार के पत्रांक 7355/वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।



14. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या 12888/वि० दिनांक 03.12.2024 के कंडिका (3) एवं 5 (ख) (ii) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार राशि निर्गत किया जा रहा है।
15. राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।
16. स्वीकृत राशि के भुगतान में किसी प्रकार अनियमितता पाये जाने पर इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) की होगी।
17. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-8/वि०3-06/2025 के 75-76/टि० पर दिनांक 16.09.2025 को प्राप्त है।
18. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अजय सतीश भेंगरा)

उप सचिव।

ज्ञापांक-8/वि०3-06/2025...../ पटना, दिनांक-...../

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक-8/वि०3-06/2025...../ पटना, दिनांक-...../

प्रतिलिपि-वित्त विभाग, व्यय शाखा, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/सहायक निदेशक (योजना शाखा), शिक्षा विभाग/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा)/प्रशाखा पदाधिकारी-05, शिक्षा विभाग/लेखा शाखा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, बिहार/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), बिहार/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (SSA), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

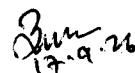
ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक-8/वि०3-06/2025-111

पटना, दिनांक-17/09/2024

प्रतिलिपि-प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/I.T. Manager शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



उप सचिव।

S.N.	DISTRICT	Actual Amount आगामी चार माह 2026 का शिक्षक वेतन भुगतान हेतु राशि
1	ARARIA	50,67,09,477
2	ARWAL	11,52,45,313
3	AURANGABAD	53,70,25,065
4	BANKA	32,15,84,111
5	BEGUSARAI	63,15,01,100
6	BHAGALPUR	65,74,09,104
7	BHOJPUR	55,24,42,598
8	BUXAR	34,74,79,644
9	DARBHANGA	62,04,17,190
10	E. CHAMPARAN	1,16,20,91,627
11	GAYA	94,92,95,343
12	GOPALGANJ	54,54,46,512
13	JAMUI	46,25,90,628
14	JEHANABAD	27,03,52,187
15	KAIMUR	56,91,32,690
16	KATHIHAR	65,56,42,243
17	KHAGARIA	30,06,69,733
18	KISHANGANJ	36,03,33,857
19	LAKHISARAI	18,65,44,838
20	MADHEPURA	52,07,50,242
21	MADHUBANI	1,14,78,49,507
22	MUNGER	28,91,47,377
23	MUZAFFARPUR	87,96,15,939
24	NALANDA	75,64,94,076
25	NAWADA	55,81,45,134
26	PATNA	82,73,50,959
27	PURNIA	58,15,61,498
28	ROHTAS	49,54,34,127
29	SAHARSA	44,86,15,652
30	SAMASTIPUR	76,27,06,664
31	SARAN	58,28,80,051
32	SHEKHPURA	10,37,60,136
33	SHEOHAR	87,82,01,985
34	SITAMARHI	9,00,83,464
35	SIWAN	62,61,28,161
36	SUPAL	48,13,95,828
37	VAISHALI	73,17,80,226
38	W. CHAMPARAN	58,61,85,714
39	TOTAL	21,10,00,00,000


 उप सचिव
 शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

१